न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 132/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/197

1. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार श्रीविजयनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. छिन्दा सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह
3. इन्द्र सिंह
4. बलदेव सिंह
5. शीतल सिंह

पि0 मुखा सिंह जाति कम्बोसिख
सा. 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. राजपैरोकार उपतहसीलदार जैतसर, प्रार्थी
2. श्री बलदेव सिंह, अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक :25.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्रकरण सं. 495/2013) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम 8 बीजीडीए में खसरा सं. 596 में 12—14 बीघा भूमि जोहड़ मय पायतन दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त खसरा सं. 596 चक 8 बीजीडी ए के मु.नं. 22 प.नं. 154/386 के कि.नं. 7/.253, 11/.228, 12ता14/.759, 17ता19/.759,20/.227, 21/.227, 22ता24/.759 कुल 3.212 या 12 बीघा 14 बिस्वा के रूप में सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित है तथा वर्षा के जल के भराव, भण्डारण तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। भूमि जोहड़ मय पायतन की होने के कारण राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16(2) के अनुसार भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ याचिका सं. 11153/2011 में दिनांक 29.05.2012 को इस विषय में आदेश दिया गया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र सं. 6782—6812 दिनांक 24.12.2004 और राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज—6/2001 पार्ट/5 दिनांक 29.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज—7/2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। जोहड़ मय पायतन हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से चक 8 बीजीडी ए के मु.नं. 22 प.नं. 154/386 के कि.नं. 7/.253, 11/.228, 12ता14/.759, 17ता19/.759,20/.227, 21/.227, 22ता24/.759 कुल 3.212 या 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन दिनांक 23.12.1996 खातेदारी सनद सं. 30992/04.11.87 द्वारा अप्रार्थी मुखा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 8 बीजीडी तहसील अनूपगढ़ को आवंटित की गयी थी। जो वर्तमान में छिन्दा सिंह—भूपेन्द्र सिंह—इन्द्र सिंह—बलदेव सिंह—शीतल सिंह पि. मुखा सिंह जाति कम्बोसिख सा. 15 जीबी खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है। जो गैर कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि का आवंटन खारिज

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

करते हुए भूमि को गै.मु. जोहड़ मय पायतन दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना में अंकित कयिा गया रकबा और प्रस्तुत किये गये रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2016 ता 2019 में अंकित चक व रकबा भिन्न भिन्न है। प्रार्थी द्वारा सूची नं. 4 स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत की है। उपनिवेशन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। बिना किसी प्रमाणित रिकार्ड के प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के ही रकबा को जोहड़ पायतन का रकबा मानना गलत विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरी है। अप्रार्थीगण के पिता मुखा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बो सिख निवीस चक 12 जीबी के नाम से 8 बीजीडी के प.नं. 154/386 के कि.नं. 1,2ता9,10,11,12ता15, 19 व 18 कुल 17 बीघा रकबा आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर मु. सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 02.08.1974 को आराजीराज रकबा आवंटित किया गया था। जो कि नकल गिरदावरी सम्वत 2028 ता 31 से साबित हैं। इसके अतिरिक्त 8 बीजीडी के प.नं. 154/386 के कि.नं. 16–17/2–00बीघा, 18/0–12 बीघा, 21/0–18 बीघा, 25/1–00 बीघा कुल 4–10 बीघा रकबा दिनांक 23.12.1976 को अप्रार्थीगण के पिता मुखा सिंह के नाम से स्मालपेच में आंटन अधिकारी के द्वारा और दिनांक 14.12.1982 को चक 8 बीजीडी के प.नं. 154/386 के कि.नं. 22–23–24/3–00 बीघारकबा स्मालपेच में आंवटन अधिकारी द्वारा जोहड़ पायतन का उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आठ गुना कीमत पर आंवटित किया गया था। उक्त वर्णित रकबा पर अप्रार्थीगण के पिता अपने जीवनकाल में और उनके पश्चात अप्रार्थीगण काबिज होकर बतौर खातेदार के काश्त करते आ रहे है। राजस्व रकम अप्रार्थीगण के द्वारा ही अदा की जाती आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा जो सूची सं. 4 पेश की गई उसमें कांट छांट बिना किसी आदेश के की गयी हैं। यह केवल मात्र अप्रार्थीगण को उनके रकबा से वंचित करने की गर्ज से और अन्य व्यक्ति जिसका रकबा जोहड़ में आता है उसके बचाने और लाभ पंहुचाने की गर्ज से सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई। उक्त 17 बीघा व 4–10 बीघा रकबा शुद्ध आराजीराज रकता आवंटन की दिनांक को था। इसके अतिरिक्त कि.नं. 22–23–24 की 3–00 बीघा जोहड़ पायतन का रकबा आठ गुणा कीमत पर आवंटन अधिकारी के द्वारा उपनिवेशन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत आंवटित किया गया था। प्रावधानों को आज दिनांक तक अधिनियम से हटाया नहीं गया हैं। आवंटन को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। समस्त किश्तें राजकीय कोष में जमा करवाने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये हैं। जो कि विरास्तन अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। रेफरेंस मियाद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रकबा की सूची नं. 8 पेश नहीं की है। प्रार्थना पत्र गलत, विधि विरूद्ध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के पश्चात हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण लिखित बहस पेश की और जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूची नं. 4 स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत की है। उपनिवेशन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। अतः अप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि जोहड़ पायतन की नहीं मानी जा सकती हैं। सूची नं. 8 पेश नहीं की है। 39 वर्ष के बाद रेफरेंस पेश किया गया हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित भूमि शुद्ध आराजीराज थी, केवल कि.नं. 22–23–24 की 3–00 बीघा जोहड़ पायतन का रकबा आठ गुणा कीमत पर आवंटन अधिकारी के द्वारा उपनिवेशन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत आंवटित किया गया था। प्रावधानों को आज दिनांक तक अधिनियम

जिला कलक्टर

से हटाया नहीं गया हैं। आवंटन को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। समस्त किश्तें राजकीय कोष में जमा करवाने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये हैं। जो कि विरास्तन अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। रेफरेंस निरस्त योग्य होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया। लिखित बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण का अध्ययन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची नं. 4 आदि दस्तावेजानुसार प्रमाणित हैं कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)